



पत्रांक : /पविनिनि/मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2014-15

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या संख्या 3335-अ०प्र०-07 /पाकालि/14-15-अ०प्र०-07/13 दिनांक 30.06.2014 सपठित शुद्धि पत्र संख्या 3363-अ०प्र०-07/पाकालि/14-15-अ०प्र०-07/13 दिनांक 02.07.2014 के द्वारा अवर अभियन्ता (ई०एण्डएम०) से सहायक अभियन्ता (ई०एण्डएम०) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को प्रोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं०-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	अवर अभि० का नाम/पिता का नाम/ट्रेड/ जन्म तिथि/गृह जनपद/वरिष्ठता क्रमांक	अवर अभियन्ता पद पर वर्तमान तैनाती	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान/आवंटित क्षेत्र	अभिज्ञान संख्या
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार/श्री राम प्रसाद /02.03.1981/गा०बाद/8590	विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ	सहारनपुर क्षेत्र (विद्युत वितरण मण्डल, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत तैनाती हेतु)	2014384

- 2- उपरोक्त अवर अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-01-28- एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
- 3- उपरोक्त अवर अभियन्ता के सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-
  - (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
  - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
  - (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा-पुरस्तिका में कर दिया गया है।
- 4- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ०प्र०, पा०का०लि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात् एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 7291 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक

22 JUL 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशि० एवं मा०संसा० एवं वि०), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ/सहारनपुर क्षेत्र।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय/नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ।
9. उप सचिव (अ०प्र०-03/04)/गोपन) अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
11. संबंधित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।
12. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।

(एस०के० गुप्ता) 21/07/2014

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर